" राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल,जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा,जोधपुर राज0 दूरभाष सं. 0291–2511091 ई–मेल ddsecedujodhpur@gmail.com

" कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सीभ/व.अ./2011 दिनांक 19.10.16 के अनुसरण में राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक **(सामाजिक विज्ञान)** भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें वेतनमान पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे 4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुप में देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2.. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10/–रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र कमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेजों की आवश्यक रुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2016 तक अनिवार्य रुप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(नूतनबाला कपिला)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ. सा0वि0/जोधपुर/16/595 दि0 27.10.16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग,पाली मण्डल, पाली मारवाड,।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल,जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम,द्वितीय जोधपुर /पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,जोधपुर–पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. सबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

दूरभाष संख्या 0291-2511091 ई-मेल ddsecedujodhpur@gmail.com

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राज0

क्रमाक: इडीडी/माध्य/जोध/इए/व0अ0 सामाजिक विज्ञान/आरपीएससी 2011 संशो.परि./2016/595 दिनांक : 27.10.2016

आदेश संख्या – 01

जिला – जोधपुर, बाडमेर

क्रसं	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2259	BC	एकता	वेदप्रकाश	गाव व पोस्ट–पालोता,तह0 बुहाना,झुन्झुनु–333502	20.03.1984	BC,WE,WD	रामावि नया बेरा, धोलासर, फलौदी, जिला – जोधपुर	विद्यमान वेतन
2	2355	ST	नर्वदा रानी	ताराचन्द	मीणा वैल के पास,वार्ड न013,सरदार शहर,चुरु	22.06.1971	ST,WE,WD	रामावि रावतों रावलगढ, बेलवा, बालेसर, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
3	849	OBC	जेठा राम	केवल राम	सोलकिया का बेरा पीपाड शहर, जोधपुर–342601	16.02.1982	OBC	रामावि अभयगढ़, शेरगढ, जिला – जोधपुर	विद्यमान वेतन
4	882	OBC	धर्मेन्द्र चौधरी	जितेन्द्र चौधरी	म0न0 44, कुसुम विहार, अजमेर लाईन के सामने मेन गेट, गणेश होटल, बनाड रोड, जोधपुर–342010	02.07.1987	OBC	रामावि भीमरलाई गांव, बालोतरा, जिला – बाडमेर	विद्यमान वेतन
5	1592	ST	विजय पाल	नरेन्द्र कुमार मीणा	मु0 पो0 मालनू, स्कूल के पास, लालपुरा रोड, गॉव–मालनू वाया–नाणा, तह–बाली, पाली	06.04.1989	ST	रामावि लकडासर, सेडवा, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
6	1629	SC	श्यामाराम	चेलूराम	गाव व पोस्ट–सम,जैसलमेर,345001	29.11.1986	SC	रामावि रातेडी कलां, गडरा रोड, जिला – बाडमेर	विद्यमान वेतन
7	2292	BC	सहीराम मुँड	ओकांर सिह	गॉव व पोस्ट–घोरीवारा खुर्द,वाया–मुकुन्दगढ,तह0नवल गढ,झुन्झुनू–333705	02.02.1968	BC,EX	रामावि गंगासर, बाडमेर, जिला – बाडमेर	विद्यमान वेतन
8	2297	BC	बाबुलाल डूडी	दयाराम डूडी	ग्राम व पोस्ट – नेतडा, वाया–लवेरा–बावडी, जोधपुर–342037	10.12.1972	BC,EX	रामावि धन्ने की ढाणी, सिणधरी, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

" राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल,जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा,जोधपुर राज0 दूरभाष सं. 0291–2511091 ई–मेल ddsecedujodhpur@gmail.com

" कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सीभ/व.अ./2011 दिनांक 19.10.16 के अनुसरण में राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक **(गणित)** भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें वेतनमान पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे 4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुप में देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2.. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10/–रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र कमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेंजों की आवश्यक रुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2016 तक अनिवार्य रुप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(नूतनबाला कपिला)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ. गणित/जोधपुर/16/594 दि0 27.10.16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग,पाली मण्डल, पाली मारवाड,।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल,जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम,द्वितीय जोधपुर /पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,जोधपुर–पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. सबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

दूरभाष संख्या 0291-2511091
ई–मेल ddsecedujodhpur@gmail.com

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राज0

क्रमांक: इडीडी / माध्य / जोध / इए / व0अ0 गणित / आरपीएससी 2011 संशो.परि. / 2016 / 594

दिनांक : 27.10.2016

आदेश संख्या – 01

जिला – बाडमेर

क्रसं	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर पद वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1223	BC	विष्णु स्वामी	शंकर लाल स्वामी	शंकर पान वाला, पुरानी गजनेर, चोरबुंटी फाटक पास, बीकानेर– 334001	30.01.1985	OBC	रामावि धन्ने की ढाणी, सिणधरी, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
2	1228	BC	दौलत राम	कृष्ण लाल	ग्राम व पोस्ट – चाईया, तह– रावतसर, हनुमानगढ–335524	04.06.1982	OBC	रामावि रिछोली, बालोतरा, जिला – बाडमेर	विद्यमान वेतन
3	1231	OBC	शिवराज	हरमान	मु. पो.– भडाणा, वाया–मुण्डवा, जिला– नागौर 341026	01.07.1984	OBC	रामावि भागभरे की बेरी, धोरीमन्ना, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
4	1908	SC	राकेश कुमार	जिताराम	गांव–चौराडी(अगुणी) पो– धिंगडिया, वाया जाखोद, सूरजगढ, तह–चिडावा, झुन्झुनु–333029	18.02.1986	SC	रामावि कोडूका, बालोतरा, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
5	1910	SC	लालाराम रेगर	ग्यारसीलाल	मु0पो0 बडला, वाया – नागोला, तह–भिनाय, अजमेर 305628	15.07.1981	SC	रामावि भाटा, सिणधरी, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
6	2065	ST	रणजीत सिंह मीणा	राम नारायण सिंह मीणा	ग्राम–संग्रामपुरा, पोस्ट–बालुन्दा, तह–देवली, टोंक	20.02.1980	ST	रामावि गंगासर, बाडमेर, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
7	2071	ST	आशा राम मीणा	किशन लाल मीणा	ग्राम–तुम्बीपुरा, पोस्ट– मोहम्मदगढ, तह–उनियारा, टोंक–304024	09.11.1986	ST	रामावि कालाथल, बालोतरा, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

" राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल,जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा,जोधपुर राज0 दूरभाष सं. 0291–2511091 ई–मेल ddsecedujodhpur@gmail.com

" कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सीभ/व.अ./2011 दिनांक 19.10.16 के अनुसरण में राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक **(विज्ञान)** भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें वेतनमान पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे 4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुप में देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र संम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2.. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10/–रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेंजों की आवश्यक रुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2016 तक अनिवार्य रुप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(नूतनबाला कपिला)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ. विज्ञान/जोधपुर/16/592 दि0 27.10.16
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग,पाली मण्डल, पाली मारवाड,।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल,जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम,द्वितीय जोधपुर /पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,जोधपुर–पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. सबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

दूरभाष संख्या 0291-2511091
ई–मेलddsecedujodhpur@gmail.com

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राज0

क्रमांकः ईडीडी / माध्य / जोध / इए / व0अ0 विज्ञान / आरपीएससी 2011 संशो.परि. / 2016 / 592 — दिनांक : 27.10.2016

आदेश संख्या – 01

जिला – जोधपुर, बाडमेर

क्रसं	मेरिट कमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2358	GEN	निधि सक्सेना	कैलाश शालभ	सी–38 गायत्री विहार राम मन्दिर के पास बजरंग नगर , कोटा	07.03.1974	GE,WE,WD	रामावि जुडिया, बालेसर, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
2	2173	SC	कल्पना रानी	भगवान सिंह	ई–475 रणजीत नगर भरतपुर तहसील भरतपुर	11.07.1986	SC,WE	रामावि मते का तला, बाडमेर, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
3	2228	ST	उर्मिला मीना	जगदीश प्रसाद मीना	ग्राम पास्ट गढ तह बस्सी जिला जयपुर	01.07.1987	ST,WE	राउमावि तेना, शेरगढ, जिला – जोधपुर	विद्यमान वेतन
4	894	GEN	मुकेश कुमार	नागजीराम	गॉव गोलवाड़ा पोस्ट मेड़ा तह रानीवाडा जिला–जालोर	17.11.1982	GE	रामावि लकडासर, सेडवा, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
5	1364	OBC	राणमल	भूरचन्द	कामदार कम्पनी के पीछे लक्ष्मी नगर बाडमेर	01.06.1988	BC	रामावि भीमरलाई गांव, बालोतरा, जिला – बाडमेर	विद्यमान वेतन
6	1387	OBC	भागीरथ सिंह	बख्तावर सिंह	ग्राम पोस्ट भुणडाना वाया पीपाड़ रोड़ तह पीपाड़ शहर जोधपुर	08.07.1982	BC	राउमावि बस्तवा, बालेसर, जिला – जोधपुर	विद्यमान वेतन
7	1829	SC	हरीश कुमार मेघवाल	प्रागाराम मेघवाल	35 मेघवाल मोहल्ला गॉव व पोस्ट देवा तह जैसलमेर जिला जैसलमेर	08.08.1984	SC	रामावि रातेडी कलां, गडरा रोड, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
8	1974	ST	सुरेन्द्र कुमार	शिवजी राम मीणा	ग्राम खजुर का नला पोस्ट पगारा तह–हिण्डोंली जिला–बून्दी	08.07.1985	ST	राउमावि दसानियां, शेरगढ, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
9	1976	ST	राधेश्याम मीणा	प्रहलाद मीणा	ग्रमम झेपायता पोस्ट–देहीखेड़ा तह– इन्द्रगढ, जिला–बुन्दी	01.08.1986	ST	रामावि भीलों की बेरी, शेरगढ, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

"राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल,जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा,जोधपुर राज0 दूरभाष सं. 0291–2511091 ई–मेल ddsecedujodhpur@gmail.com

" कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा / संस्था / एफ–1 / 12102 / सीभ / व.अ. / 2011 दिनांक 19.10.16 के अनुसरण में राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक (अंग्रेजी) भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें वेतनमान पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे 4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(6) एफडी(नियम) / 05 / दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660 / (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुप में देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक / क–2 / 2003 / दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी / ए–II / 95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10 / –रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक / प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र कमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेंजों की आवश्यक रुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2016 तक अनिवार्य रुप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(नूतनबाला कपिला)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ. अंग्रेजी/जोधपुर/16/593 दि0 27.10.16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग,पाली मण्डल, पाली मारवाड,।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल,जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम,द्वितीय जोधपुर /पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,जोधपुर–पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. सबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

दूरभाष संख्या 0291-2511091

ई–मेल ddsecedujodhpur@gmail.com

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राज0

क्रमांकः ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/व0अ0 अंग्रेजी/आरपीएससी 2011 संशो.परि./2016/593

दिनांक : 27.10.2016

आदेश संख्या – 01

जिला – जोधपुर, बाडमेर

क्रसं	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1967	SC	अर्चना वर्मा	फकीर चन्द	32, स्वर्ण जयंती नगर, भूरीसिंह व्यायाम शाला के पीछे, भरतपुर	30.08.1989	SC,WE	रामावि रातेडी कलां, गडरा रोड, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
2	2039	ST	राजकुमारी मीना	मानसिंह मीना	गॉव व पोस्ट – कोंडर जिला – करौली राजस्थान – 322241	01.10.1988	ST, WE	रामावि कनोडिया महासिंग, शेरगढ, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
3	1113	BC	नरेन्द्र सिंह चौधरी	महेन्द्र सिंह	कागट फार्म हाउस, एनएच 162, ग्रा. पो. चण्डावल, सोजत, जिला पाली – 306306	20.01.1989	BC	रामावि अभयगढ़, शेरगढ, जिला – जोधपुर	विद्यमान वेतन
4	1626	SC	रोहिताश बलाई	सॉवलराम बलाई	मु. पो – भाकरी, वाया–राजनौता, तह–कोटपुतली, जयपुर 303110	05.04.1986	SC	रामावि लकडासर, सेडवा, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
5	1645	SC	हरीश गोयल	बंशीलाल गोयल	63, यू आई टी स्टाफ कॉलोनी, शोभावतों की ढाणी, जोधपुर	14.05.1979	SC	रामावि कोडूका, बालोतरा, जिला – बाडमेर	विद्यमान वेतन
6	1886	ST	गुलाब चन्द मीना	बद्री लाल मीना	ग्राम–बीडौली पो– निजामपुरा तह.– लालसोट, दौसा–303511	08.07.1975	ST	रामावि पदम सिंह का पन्ना, शेरगढ, जिला – जोधपुर	विद्यमान वेतन
7	1899	ST	गिर्राज प्रसाद मीणा	कालु राम मीना	ग्राम– सुजानपुरा, देवान्दा की ढाणी, मोहनपुरा, तह. बास्सी, जयपुर–303301	25.11.1979	ST	रामावि भागभरे की बेरी, धोरीमन्ना, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

" राजस्थान–सरकार"

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल,जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा,जोधपुर राज0 दूरभाष सं. 0291–2511091 ई–मेल ddsecedujodhpur@gmail.com

" कार्यालय–आदेश"

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सीभ/व.अ./2011 दिनांक 19.10.16 के अनुसरण में राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक **(हिन्दी)** भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरुप इन्हें वेतनमान पीबी–2(9300–34800) ग्रेड पे 4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुप में देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2.. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैघता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है अतः जिन अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक यौग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थियों से 10/–रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशेक्षिक योग्यता व वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र कमांक प.17(9) कार्मिक/क–2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं हैं। यदि ऐसे अभ्यार्थी पाया जाता है तो,संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें । सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
8. चयनित अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्जावेंजों की आवश्यक रुप से जॉच करें तथा अभ्यार्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।
11. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.11.2016 तक अनिवार्य रुप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे ।

(नूतनबाला कपिला)
उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

क्रमांकः– ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी–11 सशो. परि./व.अ. हिन्दी/जोधपुर/16/591 दि0 27.10.16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान ।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार,जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग,पाली मण्डल, पाली मारवाड,।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल,जोधपुर ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम,द्वितीय जोधपुर /पाली मण्डल ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,जोधपुर–पाली मण्डल ।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय ।
12. सबंधित संस्था प्रधान ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से ।
14. निजी/रक्षक पंजिका ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

दूरभाष संख्या 0291-2511091

ई–मेलddsecedujodhpur@gmail.com

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राज0

क्रमांकः इडीडी/माध्य/जोध/ईए/व0अ0 हिन्दी/आरपीएससी 2011 संशो.परि./2016/591

दिनांक : 27.10.2016

आदेश संख्या – 01

जिला – जोधपुर, बाडमेर

क्रसं	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति अभ्यर्थी का चयन हुआ।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1878	OBC	नीतू दुब्बे	हासि लाल टेलर	गोविन्द मार्केट गॉव पोस्ट लवाण जिला–दौसा	01-11-1982	BC,WE,DV	रामवि एसडी,चैनपुरा, फलौदी, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
2	1310	OBC	किशनाराम	हरूराम	ग्राम व पोस्ट ज्वारानाड़ा पडियाल तह0 फलौदी जिला–जोधपुर	22-06-1986	OBC	रामावि नया बेरा, घोलासर, फलौदी, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
3	1311	OBC	उमेदा राम	रूपा राम	ग्राम गाधीनगर पोस्ट खडीन तह0 रामसर जिला–बाडमेर	18-03-1987	OBC	रामावि कोडूका, बालोतरा, जिला – बाडमेर	नियत पारिश्रमिक
4	1835	SC	महेश कुमार बैरवा	शंकर लाल बैरवा	ग्राम व पोस्ट–टांका तह–सिकराय जिला–दौसा	01-06-1983	SC	रामावि कनोडिया महासिंग, शेरगढ, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
5	1842	SC	सुरेश कुमार मेघवाल	रामुराम मेघवाल	गॉव जैतपुरा पोस्ट–बेगसर,तह0–डीडवाना जिला–नागौर	05-06-1988	SC	रामावि रावतों रावलगढ, बेलवा, बालेसर, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
6	1849	SC	राजपाल	बनवारी लाल	वार्ड न0 11 कच्ची थडी श्रीकरणपुर जिला–श्रीगंगानगर	30-06-1982	SC	रामावि केरेला, बापिणी, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
7	1851	SC	रामकुमार	राजीराम	चक 19 एस पी डी पो–बडोपल तह–पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़	16-01-1983	SC	रामावि भीलों की बेरी, शेरगढ, जिला – जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
8	1857	SC	रामुराम	महेन्द्रा राम	गॉव–सगोरालिया पोस्ट–रोहिडी तह0–गडरारोड जिला–बाडमेर	01-07-1985	SC	रामावि रातेडी कलां, गडरा रोड, जिला – बाडमेर	विद्यमान वेतन
9	1886	ST	जुगराज मीना	सीताराम मीना	गॉव–छत्रपुरा पोस्ट–अयाना तह0 पिपल्दा जिला–कोटा	01-01-1983	ST	रामावि तनावडा, लूणी, जिला – जोधपुर	विद्यमान वेतन

उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

क्र0 सं0	जिले का नाम → / विषय ↓	जोधपुर			बाड़मेर			जैसलमेर			पाली			जालोर			सिरोही			कुल उपस्थित	कुल अनुपस्थित	कुल आदेश
		उपस्थित	अनुपस्थित	आदेश	उपस्थित	अनुपस्थित	आदेश	उपस्थित	अनुपस्थित	आदेश	उपस्थित	अनुपस्थित	आदेश	उपस्थित	अनुपस्थित	आदेश	उपस्थित	अनुपस्थित	आदेश			
1	विज्ञान	2	3	5	2	2	4	0	0	0	5	0	5	3	0	3	0	2	2	12	7	19
2	अंग्रेजी	3	0	3	1	3	4	0	0	0	2	0	2	0	3	3	2	1	3	8	7	15
3	गणित	0	0	0	2	5	7	0	0	0	3	0	3	1	2	3	1	1	2	7	8	15
4	हिन्दी	3	4	7	2	0	2	0	0	0	4	0	4	3	1	4	1	0	1	13	5	18
5	सामाजिक विज्ञान	3	0	3	4	1	5	0	0	0	2	0	2	2	1	3	1	1	2	12	3	15
	योग	11	7	18	11	11	22	0	0	0	16	0	16	9	7	16	5	5	10	52	30	82

उप निदेशक, माध्यमिक
शिक्षा विभाग, जोधपुर